न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 20 / 2021
जीसीएमएस न0 :– 2021 / 71
दायर दिनांक :– 30.06.2021
निर्णय दिनांक :– 29.08.2023

अनवान

1. श्री शम्भुलाल पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगु जाति नाई, निवासी मोर्रा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. प्रकाश पिता मांगीलाल उर्फ मांगु जाति नाई, उम्र 35 वर्ष निवासी मोर्रा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

1. श्री भैरूलाल पिता नारायण लाल जाति नाई उम्र व्यस्क निवासी मोर्रा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. श्री गणेश पिता नारायण लाल जाति नाई, निवासी मोर्रा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. श्रीमती जमनी पत्नि मांगीलाल उर्फ मांगु जाति नाई, निवासी मोर्रा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. तहसीलदार रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 77 निर्णय दिनांक 19.05.1989 तहसीलदार, रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

उपस्थित :–

1– श्री, प्रकाश चन्द्र खटीक अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

निर्णय दिनांक 29.08.2023

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, अधीनस्थ न्यायालय– तहसीलदार, रेलमगरा तहसील रेलमगरा के द्वारा राजस्व ग्राम मोर्रा, पटवार हल्का सकरावास तहसील रेलमगरा में खसरा संख्या 165, 166 स्थित है, जिसमें खातेदार गणेशलाल पुत्र नारायण लाल, जमनी पत्नि मांगीलाल, भैरूलाल पुत्र नारायणलाल, शम्भुलाल पुत्र नारायण लाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जबकि शम्भुलाल

नाम का नारायण लाल के कोई लडका नहीं है, राजस्व रेकार्ड में शम्भुलाल को नारायण लाल का लडका दर्शाया जाने से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर विधि की सुस्थापित प्रक्रियानुसार रेस्पोडेण्टस् की तलबी की गई, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

सर्वप्रथम उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद के बिन्दु पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण न्यायिक दृष्टि से प्रथम दृष्टया साबित नही होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया गया।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मेमो मे वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश तथ्यों एवं विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है, उक्त भुमि राजस्व ग्राम मोर्रा पटवार हल्का सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में खसरा संख्या 165,166 स्थित है, उसमें खातेदार गणेशलाल पुत्र नारायण लाल, जमनी पत्नि मांगीलाल, भैरूलाल पुत्र नारायण लाल, शम्भुलाल पुत्र नारायणलाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जबकि वास्तविक रेकार्ड अनुसार गणेशलाल, भैरूलाल एवं मांगीलाल तीनों ही सगे भाई है तथा जमनी देवी मांगीलाल की पत्नि है, शम्भुलाल नाम का नारायण लाल के कोई लडका ही नहीं है, इस प्रकार राजस्व रेकार्ड में शम्भुलाल को नारायणलाल का लडका दर्शाया गया है, जो सरासर गलत है, जबकि नारायण लाल के तीनों ही लडके गणेशलाल, भैरूलाल एवं मांगीलाल है, वर्तमान में मांगीलाल फौत हो चुका है, और मांगीलाल के पीछे वारिसान के रूप में अपीलाण्ट एवं जमनी देवी वर्तमान में जिवित है, राजस्व रेकार्ड में शम्भुलाल पुत्र नारायण लाल के बजाय मांगीलाल पुत्र नारायण लाल दर्ज कराया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड मं आगे अमल दरामद कराया जाना आवश्यक है, नारायणलाल के शम्भुलाल नाम का कोई पुत्र नहीं है, इन्ही पक्षकारों के मध्य अन्य भूमिया राजस्व ग्राम मोर्रा तहसील रेलमगरा में भी स्थित है उसमें भी प्रकाश चन्द्र शम्भुलाल एवं जमनी बाई को स्व0 मांगीलाल जी के वारिसान ही दर्शाये गये है, ऐसी स्थिति में शम्भुलाल पुत्र नारायण लाल के बजाय मांगीलाल पुत्र नारायण लाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 09.06.1993 को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील राजस्व ग्राम मोर्रा में पंजीयन रजिस्टर्ड प्र0स0 1 जिल्द सं0 77 कमांक 177 दिनांक 19.03.1993 से आराजी नम्बर 165, 166 किता 2 रकबा एक बीघा सत्रह बिस्वा विक्रय पत्र से जीतु

पिता किशना 1/2 कुमावत द्वारा केता भैरूलाल गणेशलाल शम्भुलाल पिता नाराणलाल नाई निवासी मोर्रा 1/2 के नाम विकय किया, जो कि सम्वत 2047–50 के खाता संख्या 82 में दर्ज जरिये नामा0 संख्या 349 द्वारा दर्ज कर दाखिला लगाया गया जो वर्तमान में भी गणेशलाल पिता नाराण 1/6 यानि कुल 1/2 हिस्सा अनुसार दर्ज है, जमाबन्दी 2077 के खाता संख्या 82 वर्तमान में दर्ज है, वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2077 के खाता संख्या 82 में आराजी नम्बर 165,166 किता 2 रकबा 0.2995 हैक्टेयर श्री गणेशलाल पुत्र नारायणलाल 1/6 नाई, सा देह खातेदार जमनादेवी पत्नी मांगीलाल 1/2 कुमावत सा0 देहखातेदार भैरूलाल पुत्र नारायणलाल 1/6 नाई सा0 देह खातेदार, शम्भुलाल पुत्र नारायणलाल 1/6 नाई सा देह खातेदार के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड है, तथा उक्त नामान्तरण रजिस्टर्ड विकय पत्र के जरिये स्वीकृत है, जिसके आधार पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रकरण में बहस , विधिक नजीरों, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, साक्ष्य एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया, दस्तावेजों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रथमदृष्टया उक्त नामान्तरण रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही है, अतः उक्त अपील सारहीन होने से अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

29/08/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 29.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/08/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द